

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ,
बिहार, पटना

आदेश

सं0सं0-11/अंधा0(स्था0)-03/2018-654(11) /पटना, दिनांक-30.6.18

राष्ट्रीय अंधापन कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यालयों/संस्थानों में पदस्थापित तृतीय वर्ग के कर्मियों के संबंध में प्राप्त आवेदन एवं संबंधित नियंत्री पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा/रिक्ति संबंधी सूचना पर सम्यक विचारोपरांत विशेष परिस्थिति में निम्नांकित सूची के स्तम्भ "2" में अंकित कर्मियों जिनका वर्तमान पदस्थापन स्तम्भ "3" में अंकित है, का स्थानान्तरण करते हुए स्तम्भ "4" में अंकित कार्यालयों/संस्थान में पदस्थापित किया जाता है:-

क्र0सं0	कर्मि का नाम/पदनाम	वर्तमान पदस्थापन का नाम	कार्यालय जहाँ पदस्थापन किया गया है।
1	2	3	4
1.	श्री सुनील कुमार, (नेत्र सहाय)	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नरपतगंज, अररिया	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पकरी, बरौवा, नवादा
2.	श्री अजय कुमार, (नेत्र सहायक)	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनिहारी, कटिहार	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हिलसा, नालंदा
3.	श्री नवीन कुमार, (नेत्र सहायक)	अनुमंडलीय अस्पताल, बाढ़, पटना	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फुलवारीशरीफ, पटना
4.	श्रीमती अमृता (नेत्र सहायक)	अनुमंडलीय अस्पताल, महुआ, वैशाली	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोकामा
5.	श्रीमती पुष्पा कुमारी, (नेत्र सहायक)	चक्षु चलन्त इकाई, सदर अस्पताल, हाजीपुर, वैशाली	राजेन्द्र नगर अतिविशिष्ट नेत्र विज्ञान केन्द्र, पटना
6.	श्री श्रवण कुमार (नेत्र सहायक)	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ठाकुरगंज, किशनगंज	अनुमंडलीय अस्पताल, बाढ़, पटना

2. स्थानान्तरण आदेश से नियुक्ति की वैधता मान्य नहीं होगा। स्थानान्तरण आदेश के सम्पुष्टि के पश्चात् ही वेतनादि का भुगतान किया जायगा।
3. उपर्युक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन संबंधित कर्मियों द्वारा दिये गये आवेदन के आलोक में किया गया है, अतएव उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
4. संबंधित पदाधिकारी स्थानान्तरित कर्मियों को एक सप्ताह के अन्दर विरमित करना सुनिश्चित करेंगे।

(डा0 आर0डी0 रंजन)

निदेशक प्रमुख, (रोग नियंत्रण)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

30.6.18

ज्ञापांक:-11/अंथा0(स्था0)-03/2018-654(11) /पटना, दिनांक-30.6.18

- प्रतिलिपि:-** अपर निदेशक-सह-राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, अंधापन, स्वास्थ्य सेवा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:-** असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, /अपर उपाधीक्षक -सह-सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, अररिया/नवादा/कटिहार/नालंदा/पटना/वैशाली, हाजीपुर/ किशनगंज/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, नरपतगंज, अररिया/मनीहारी/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ठाकुरगंज, किशनगंज/बाढ़, पटना/नरपतगंज, अररिया/मनीहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:-** निदेशक, राजेन्द्र नगर अतिविशिष्ट नेत्र विज्ञान केन्द्र, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:-** संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:-** संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:-** प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव, /अपर सचिव के निजी सहायक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:-** आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख, (रोग नियंत्रण)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

30/6/18